न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—सत्तार खान, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—220 / 2020 / 75 (2020 / 00220)

1. समस्त जनता ग्राम घास जरिये जगदीश पुत्र मोती गुर्जर निवासी घास तहसील व जिला टोंक
2. बदरी पुत्र सेवाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी तहसील घास टोंक
3. मेवाराम पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी घास तहसील टोंक
4. कंवरपाल पुत्र कालू जाति नाथ निवासी घास तहसील टोंक
5. मेंवाराम पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर निवासी घास तहसील टोंक
6. राजू पुत्र कंवरपाल जाति नाथ निवासी घास तहसील टोंक

अपीलांटस

बनाम

1. घनश्याम पुत्र सूरज रैगर जाति रैगर निवासी घास तहसील टोंक
2. प्रभु पुत्र सूरज जाति रैगर निवासी घास तहसील टोंक
3. राजू पुत्र सूरज जाति रैगर निवासी घास तहसील टोंक
4. भू—आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोंक

रेस**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 14.07.2016

उपस्थितः—

1. श्री आसिफ शकुर, वकील अपीलार्थी
2. रेस्पोडेंटस सं0 1 से 3 की ओर से।
3. रेस्पो0 सं0 4 की ओर से नायब तहसीलदार, टोंक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2021.01.05 14:49:27 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 220 / 2020 (2020 / 00220)
समस्त जनता ग्राम घास बनाम घनश्याम व अन्य

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 17.12.2020

यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का तहत प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंटस के स्व0 पिता सूरज पुत्र बालू रैगर निवासी बम्बोर को दिनांक 28.01.1971 को साबिक ख0नं0 566 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि वाके ग्राम घास तहसील टोंक में आवंटन की गई थी। उक्त भूमि ग्राम घास के ग्रामवासियान के लिए पिछले सौ वर्षो से अधिक समय से श्मशान भूमि के रूप में काम आ रही है तथा उक्त भूमि आवंटन की दिनांक को गैर मुमकिन श्मशान के रूप में दर्ज थी। इसलिए किया गया आवंटन निरस्तनीय है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.07.2016 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा उन दोनों के अभिभाषकगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए सूरज पुत्र बालू रैगर को दिनांक 28.01.1971 को किया गया आवंटन यथावत रखने के आदेश दिये है उक्त आवंटन से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है ।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 सं0 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पो0 सं0 4 की ओर से नायब तहसीलदार, टोंक के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधी0न्याया0 ने स्वयं ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांटस के अभिभाषक दिनांक 11.07.2016 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के यह बहस चार्ज में मसरूफ थे। स्वयं अधी0न्याया0 (जिला कलक्टर, टोंक) ने दिनांक 11.07.2016 को ही एक अन्य प्रकरण अनवान रसाल बनाम प्रभु आदि में आदेश नियम 9 रूल 13 सी0पी0सी0 में उपस्थिति दर्ज की है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के अभिभाषक की अनुपस्थिति दर्ज करके एक तरफा में दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में निर्णित कर दिया। जबकि कानूनन प्रकरण को अधी0न्याया0 द्वारा अदम हाजिरी व अदम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2021.01.05 14:49:27 IST
Reason: SelfAttested

पैरवी में खारिज करना चाहिये था। प्रकरण में राजकीय अभिभाषक को भी नहीं सुना गया।

4. अपनी बहस जारी रखते हुए अपीलांट अभिभाषक ने कथम किया कि रेस्पोडेंटस के पिता को दिनांक 28.01.1971 को गैर मुमकिन भूमि (श्माशान) भूमि में से 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जो कि धारा 16 राजस्थान टिनेनेंसी एक्ट व माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णयों में कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि गैर मुमकिन भूमि में किया गया कोई भी आवंटन अवैध है एवं निरस्तनीय है। अधी0 न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट की स्थिति मंगवाने पर पटवारी हल्का ग्राम घास व तहसीलदार, टोंक द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.08.2011 एवं 09.08.2011 को प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट पर अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया था, आपत्ति पत्र को निर्णित किये बिना ही अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण का आनन–फानन में निस्तारण कर दिया। अधी0न्याया0 में प्रकरण विचाराधीन रहते अप्रार्थी नं0 1/4 मुस0 कल्याणी का देहान्त हो चुका था, के बाद भी मृत व्यक्ति के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। इस कारण अधी0न्याया0 का निर्णय गलत एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांटस अभिभाषक द्वारा 2009 (2) आर0आर0टी0 पेज 1220,1241 2008 (2) आर0आर0टी0 पेज 1429 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. अपीलांट अभिभाषक की बहस के जवाब में नायब तहसीलदार, टोंक ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता सूरज पुत्र बालू जाति रेगर निवासी घांस द्वारा आवेदन पत्र भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर भू–आवंटन समिति ने दिनांक 08.07.1971 को केम्प घांस में ख0नं0 566 में से रकबा 4.00 बीघा भूमि ग्राम घांस तहसील टोंक में आवंटन किया गया तथा दिनांक 29.07.1971 को सुपुर्दगीनामा दिया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ख0नं0 566 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा गै0मु0 श्मशान भूमि है, जबकि आवंटन आवेदन पत्र में पटवारी हल्का घांस की रिपोर्ट में सिवायचक होना अंकित था। प्रतिपक्षी अनुसूचित जाति का सदस्य होकर भूमिहीन काश्तकार एवं सद्भावीक कृषक होने के कारण कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षीगण के पिता को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2021.01.05 14:49:27 IST
Reason: SelfAttested

6. हमनें उभयपक्ष बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया एवं प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है।

हम अभिभाषक अपीलांटस के इस तर्क से सहमत है कि अपीलांटस अभिभाषक की अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है लेकिन प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जा सकता। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत आपत्ति रिपोर्ट पटवारी एवं प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी संख्या 1/4 मुस0 कल्याणी का नाम डिलीट किये जाने पर आदेश किये बिना अंतिम निर्णय पारित किया है। कानूनन अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में लंबित सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में हम प्रकरण को अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है ।

–:क्रियात्मक आदेश:–

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांटस इस प्रकार निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्रों को निर्णित कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2021.01.05 14:49:27 IST
Reason: SelfAttested